पुलिस विभाग जिला–अजमेर

।। प्रेस नोट दिनांक 12.09.2017

<u>ब्लू व्हेल चैलेंज गेम से बच्चों को सुरक्षित रखने हेतु जिला पुलिस अजमेर द्वारा आज दिनांक 12.09.17 से एक जागरूता अभियान</u>

ब्लू व्हेल चैलेंज गेम से बच्चों को सुरक्षित रखने हेतु जिला पुलिस अजमेर द्वारा आज दिनांक 12.09.17 से एक जागरूता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जिले के समस्त वृताधिकारी/थानाधिकारीगण अपने अपने क्षेत्र में स्थित स्कूल, कॉलेजों में जाकर इस आत्मघाती खेल से सुरक्षित रहने हेतु बच्चो ,युवाओं, शिक्षकों एवं अभिभावको को अभिप्रेरित कर निम्न सुझाव जनहित में दिये जा रहे हैः–

- सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा उचित एवं सुरक्षित ऑन लाईन साईट का उपयोग करता है जो कि अनैतिक व्यापार या हिंसा को बढाया नही देता है।
- सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा परिवार के बीच में रखे कम्प्यूटर से इन्टरनेट तक पहुॅचता है।
- बच्चों से अधिक बातें करे व केवल नैतिक और सुरक्षित ऑनलाईन व्यवहार का प्रदर्शन करने वाले दिलचस्प गतिविधियों में शामिल करने हेतु प्रेरित करें।
- बच्चे द्वारा उपयोग किये जाने वाले सभी उपकरणों पर नजर रखें तथा स्क्रीन के समय की निगरानी करें व उनकी ऑनलाईन गतिविधियों पर नजर रखे।
- बच्चों के लिए आदर्श बने एवं अपनी स्वयं की गतिविधियों के प्रति जागरूक रहे।
- अपने आप को हाल ही की इन्टनेट घटनाओं से अद्यतन रखें।
- अपने बच्चे के व्यवहार का बारीकी से आकंलन करें किसी भी असामान्य बदलाव जैसे कि मनोदशा में, कम या ज्यादा बातचीत करना, पढाई में रूचि कम होना व ग्रेड गिरना यदि आप ऐसी चीजे नोटिस करते है तो उनकी ऑन लाईन गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखे व स्कूल के अधिकारियों से बात करें या बालमनोवैज्ञानिक से चर्चा करें।
- यदि आपको पता चलता है कि आपका बच्चा ब्लू हेल चैलेंज गेम खेल रहा है तो तुरन्त उसके इन्टरनेट उपयोग करने पर रोक लगा दे एवं स्थानीय पुलिस को सूचित करें और अगले सुरक्षों उपायों पर उनकी सलाह लें।
- शिक्षकों को छात्रों के ग्रेड गिरने व उनके सामाजिक व्यवहार पर नजर रखना चाहिए एवं व्यक्तिगत रूप से ऐसे बच्चों से बात करे जो अन्य बच्चों के साथ ज्यादा बातचीत नही करते है या अलग रहते है।
- यदि शिक्षकों को बच्चों के व्यवहार में कुछ संदेहास्पद या खतरनाक लगता है तो तुरन्त स्कूल के अधिकारियों एवं अभिभावकों को सूचित करें ।
- शिक्षक यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चे स्कूल में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक गैजेट का उपयोग न करे।
- बच्चों को समय समय पर इन्टरनेट के दुष्प्रभाव के बारे में संवेदनशील करें।
- जिले के समस्त कस्बों/शहर/गांव में रात्रि गश्त हेतु जाने वाली पुलिस टीम को निर्देशित किया गया है कि रात्रि में किसी भी 12 से 19 वर्ष के युवक को अवसाद एवं मनोदश की स्थिति में अकेला घुमता पाया जाता है तो तत्काल उसका नाम पता पूछ कर उसे अपने घर पर पहुॅचाए।

➢ प्रेस विज्ञप्ति

➢ पुलिस आपके द्वार'' जनसहभागिता शिविर का आयोजन

➢

पुलिस जनसहभागित की दृष्टि से दिनांक 01.09.2017 को एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था जिसमें जिले के समस्त थाना क्षैत्र में ग्राम पंचायत/वार्ड स्थित कॉलोनियां में जन सहभागिता शिविरो का आयोजन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत पुलिस थाना गांधीनगर में पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर द्वारा चलाये जा रहे पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम में पुलिस थाना गांधीनगर में वार्ड नं0 08 भाट छात्रावास में आज दिनांक 12.09.2017 को सी ओ डॉ प्रिंयक उपअधीक्षक थानाधिकारी विश्राम लाल द्वारा जन सहभागिता शिविर का आयोजन वार्ड नं007 राव छात्रावास मे रखा गया जिसमें महेन्द्रपाल बीट कानि0रामकमल उपस्थित रहे जिसमे वार्ड पार्षद अनील राव,राव समाज अध्यक्ष धनराज राव,व वार्ड व वार्डवासियों की समस्या सूनी व समस्याओ का शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया। उक्त आयोजित शिविर में संबंधित थानाधिकारी निम्न पत्रादि यथा–1–आर्म्स रजिस्टर, 2–परिवाद रजिस्टर, 3–सम्मन/वारण्ट रजिस्टर, 4–बीट बुक, 5–ग्राम अपराध पंजिका, 6–डोर टू डोर सर्वे रजिस्टर साथ रखकर कार्यवाही की गई मिटिंग के समय थानाधिकारी के साथ रहेंगे एवं आसूचना अधिकारी भी बैठक के दौरान शिविर में उपस्थित रहे। संबंधित वृताधिकारीगण प्रतिदिन अपने वृत क्षैत्र में आयोजित 01 जनसहभागिता शिविर को चैक किया जा रहा है

स्थाई वारंटी में एक स्थाई वारंटी गिरफ्तार

पुलिस थाना क्रिश्चनगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान स्थाई वारंट के दौरान थानाधिकारी थाना कि.गंज अजमेर ने हाकम पुत्र दल्ला जाति चीता उम्र 34 साल निवासी रातीडांग अजमेर को गिरफतार कर पेश न्यायालय किया गया। अभियुक्त चैक बाउंस के मामले में फरारी काट रहा था जिसको गोपालसिंह कानि. द्वारा गिरफतार किया गया।

शांति भंग के आरोप में पांच आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना गंज द्वारा शांति भंग के आरोप में 1. अन्नू पुत्र नौरतमल जाति तेली उम्र 28 साल नि. नवरंग नगर लौंगिया मोहल्ला थाना गंज जिला अजमेर 2. साहिल पुत्र राजू उर्फ शौकत अली जाति मुसलमान उम्र 19 साल नि. पहाडगंज गुर्जर धरती थाना रामगंज अजमेर 3. नीरज पुत्र प्रेमचन्द जाति कोली उम्र 38 साल नि. कमला बावडी गंज अजमेर 4. चन्दनसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र 20 साल नि. चाभुजा मन्दिर के पास चेचट थाना चेचट जिला कोटा हाल बोराज थाना गंज अजमेर 5. मेघराज पुत्र हरिभजन जाति प्रजापत उम्र 26 साल नि. रवाजना डुंगर थाना रवाजना डुंगर सवाई

माधोपुर हाल बोराज गंज अजमेर को अन्तर्गत धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

शान्ति भंग के आरोप मे ं दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना मसुदा मे सुलेमान उर्फ बन्ना पुत्र शकरू जाति मेहरात उम्र 21 साल निवासी काली दांती राघपुरा थाना मसूदा जिला अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना केकडी में 1.रामस्वरूप पुत्र रतन जाति बागरिया उम्र 35 साल निवासी देवगांव थाना केकडी 2. कजोड पुत्र रतन जाति बागरिया उम्र 25 साल निवासी देवगांव थाना केकडी जिला अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।

मारपीट का मुकदमा दर्ज

पुलिस थाना अलवर गेट में मंजू देवी W/O लक्ष्मीनारायण जाति भाट उम्र 37 वष निवासी चामुंडा माता मंदिर के पास मदारपुरा थाना अलवर गेट अजमेर ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि– सेवा म थानाधिकारी महोदय अलवर गेट अजमेर विषय प्राथमिक रिपोट दज करवाने बाबत मान्यवर जी सविनय निवेदन है कि मेरी पुत्री कुमारी सुमन राजकीय आदश उच्च माध्यमिक विद्यालय मदारपुरा म कक्षा दसवीं म अध्ययनरत है और मेरा निवास भी ग्राम मदारपुर माता जी के मंदिर के पास है म 5 वष से ग्राम मदारपुर म निवास कर रही हूं मेरे पति पैसे से ड्राइवर है अक्सर म अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हूं इसी चीज का फायदा उठाते हुए मदारपुरा निवासी सूया पुत्र स्वर्गीय विजय उफ जोकर जाती रावत स्कूल के पास मदारपुरा म रहने वाले ने मेरी पुत्री सुमन को करीब 2 साल से परेशान कर रहा है मेरी पुत्री ने डर के मारे पहले कुछ नहीं बताया था लेकिन करीब 20 दिन पहले बच्ची ने हम को अवगत कराया कि सूया रावत मुझसे रास्ता रोक रोक के कई दफे बदतमीजी कर चुका है वह मुझे गलत गलत वह गंदी गंदी बात कहता है और कहता है कि तूने अपने घर पर कुछ भी बताया तो तुझे जान से मार दूंगा और तेरे साथ घरवाले बीच म आए तो उनको भी जान से मार दूंगा जिस पर मने अपने भाई महद्र म पति से यह बातचीत की तो उन्होंने समझाइश के तौर पर उसके बड़े भाई से बातचीत की तब उसके भाई ने हम आश्वस्त किया कि म उसे समझा दूंगा दोनों ही परिवारों की इज्जत का सवाल है इस पर हम भरोसा करते

हुए शांत हो गए परंतु आज सूय रावत ने हद हा कर दा स्कूल म शराब के नशे म धुत होकर सुमन का कक्षा म चाकू लेकर गया और सुमन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का कोशिश का बीच बचाव म मेरे पुत्र सौरभ जो कि वह पढ़ता है ने कहा कि तू यह क्या कर रहा है मेरा बहन को कहां ले जाना चाहता है तो उसको गाला गलोच म धक्का दिया और कहने लगा कि तु हट जा वरना जान से मार दूंगा उस बीच सत्यनारायण जी अध्यापक वह रितु मैडम भी बीच बचाव कर रहा तो उनको भी बदतमीजी के साथ जान से मारने का धमका दा इतना होने के बाद सभी बच्चे व ऑफ नेहा हुल्लड़ हुआ उसको जैसे तैसे बाहर निकालकर गेट पर ताला लगाया परंतु वह चाकू लहराते हुए सबको देख लेने वह सुमन को उठा ले कर ले जाने का धमका देकर गया कुछ दिनां पूव भी यहा लड़का हमारे मकान पर रात को आया आवाजे दा खुद का नाम बताते हुए हमने डर के मारे दरवाजा नहां खोला तो दा दावारां पर अपना नाम लिख कर चला गया जो कि उसका लिखावट बारिश म खराब हो गई परंतु उसका क्लिपिंग मोबाइल ने हमारे पास मौजूद ह जी से यह निवेदन करना अति आवश्यक है कि मेरे घर म स्कूल के बीच का दूरा कराबन 1 किलोमीटर है वह सुनसान रास्ता है उसी सूया का मकान भी स्कूल के पास है इस कारण मेरा पुत्री पर वह हमेशा नजर गाड़ी रहता है हम डर है कि कभी भी कहां भी मेरा पुत्री वह मेरे पुत्र सौरभ के साथ म दो और छोटे बच्चां के साथ हे प्रिय घटना घट सकती ह इस कारण मेरे सभी बच्चे व म खुद डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूं जी से निवेदन है कि प्राथना पत्र पर गौर फरमाते हुए सूया रावत के खिलाफ मुकदमा दज कर कड़ी से कड़ी कारवाई से दण्डित करवाने का कष्ट कर हम राहत प्रदान कर हम आशा हा नहां पूण विश्वास है कि

हमारी पीड़ा को वह बच्चे के भविष्य के बारे म सोचते हुए यथा शीघ्र कारवाई कर आदि रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 324／17 धारा 354,354घ,506,504 भादस में दर्ज कर अनुसंधान सउनि रामकुमार द्वारा किया जा रहा है।